



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 197 राँची, गुरुवार,

28 अप्रैल, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यालय आदेश

11 अप्रैल, 2022

संख्या-का०आ०सं०-3/अ०क्षे०स्था०-(ACP)पत्राचार-19/2013-1240(3)/रा०-राज्य कर्मियों को ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-5207/वि०., दिनांक-14.08.2002 तथा एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-2981/वि., दिनांक-01.09.2009, पत्रांक-1117/वि., दिनांक-03.06.2011 एवं संकल्प संख्या-1779/वि., दिनांक-21.05.2014 एवं संकल्प सं०-2322, दिनांक-26.10.2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्रणाधीन सेवानिवृत्त/अप्रैल, 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. अंतर्गत संवर्गीय पद पर योगदान की तिथि से 12/24 या 10/20/30 वर्षों के नियमित सेवा पूरी करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में उल्लेखित वेतनमान एवं तिथि से तृतीय एम.ए.सी.पी की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति की तिथि	स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4
1	श्री महेश प्रसाद चौधरी, सेवानिवृत्त अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, अंचल कार्या०-केरेडारी, हजारीबाग।	10-09-1990	3 rd MACP दिनांक-10.09.2020 के प्रभाव से, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड-पे 4800
2	श्री दशरथ राम, सेवानिवृत्त, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, अंचल कार्या०-विश्रामपुर, पलामू।	07-04-1982	3 rd MACP दिनांक-07.04.2012 के प्रभाव से, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड-पे 4800
3	श्री नवीन चन्द्र प्रसाद, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, बंदोबस्त कार्या०-राँची।	14-06-1990	3 rd MACP दिनांक-14.06.2020 के प्रभाव से, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड-पे 4800

2- यह वित्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है एवं निम्नांकित शर्त के अधीन देय है :-

I. ACP योजना दिनांक-09.08.1999 से दिनांक-31.08.2008 तक प्रभावी है, किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक-15.11.2000 से देय होगा। दिनांक-01.09.2008 के बाद MACP योजना प्रभावी है ।

II. यह वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा, जिसका वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। तदनुसार सम्बर्ग में कनीय कर्मी को ACP/MACP योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

III. उक्त सूची में अंकित अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पायी जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ACP/MACP योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

iv. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1779/वि०, दिनांक-21.05.2014 की कंडिका-5(v) के आलोक में वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा। वेतन निर्धारण का सत्यापन उक्त संकल्प की कंडिका-5(vii) में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा। वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।

v. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

दशरथ चन्द्र दास,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
